



# बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbcl.bih.nic.in

## BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbcl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!  
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक:-बी0एस0बी0सी0सी0एल0-105/2018-गुण नियंत्रण -2056

दिनांक: 25/9/2020

### कार्यालय आदेश -44

National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) के माध्यम से प्रशिक्षुओं का चयन किये जाने के लिए दिनांक-10.09.2020 को आयोजित साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों की विवरणी निम्नवत है:-

S. No.	Post	Category of Post	Appeared candidates Name	Selected Candidates Name
1	Information Technology	Gen-01	No any candidate appeared in the interview	
2	Draftsman (Civil)	Gen Female-01	1. Mahwish Parvej	Mahwish Parvej
3		SC-01	1. Pooja Kumari 2. Abhishek Kumar 3. Avinash Kumar	Pooja Kumari
4	Office Assistant	Gen-01	1. Dolly Kumari	Dolly Kumari
5		EBC-01	No any candidate appeared in the interview	
6	HR Assistant	EBC-01	No any candidate appeared in the interview	

- अप्रेन्टिसशीप की अवधि NAPS पोर्टल पर वर्णित अवधि के अनुसार होगी।
- अप्रेन्टिसशीप अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को Stipend की राशि उनके एकरारनामा किये जाने की तिथि से देय होगा। Stipend की राशि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित Gazette में दी गई गाइडलाईन के अनुसार देय होगा। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
- अप्रेन्टिसशीप अभ्यर्थियों को अप्रेन्टिसशीप अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में निगम जिम्मेवार नहीं होगी।
- अप्रेन्टिसशीप अभ्यर्थियों को योगदान करने हेतु किसी भी प्रकार का T.A/D.A का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- अप्रेन्टिसशीप अभ्यर्थियों को निगम के नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई भी सुविधा/भत्ता देय नहीं होगी।
- अप्रेन्टिसशीप अभ्यर्थियों को आकस्मिक अवकाश एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश के अलावा एवं Apprentice Portal पर निर्धारित अन्य अवकाश देय होगा।
- अप्रेन्टिसशीप अभ्यर्थियों के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उनका Apprenticeship Contract समाप्त करने हेतु निगम का निर्णय अंतिम होगा।
- उक्त चयनित अभ्यर्थी पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निगम मुख्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

मुख्य महाप्रबंधक

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,पटना।